

प्रपत्र एस.एल.२

[अनुच्छेद १.५.२ (ii) (ए) देखें]

सुरक्षा लॉकर के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ झेड.इ., तथा बैंकिंग कंपनियों (नामांकन) नियम, १९८५ के धारा ४(५) के अंतर्गत नामांकन रद्द करना

मैं/

हम,

(नाम और पता / पते)

(नाम और पता / पते)

एतद्वारा

मेरे

/

हमारे

द्वारा

(नामांकित व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम और पता / पते)

के संबंध में किए गए नामांकन सुरक्षा लॉकर के संबंध में, (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) को रद्द करता/ करती हूँ/ करते हैं।

लॉकर			नामांकित व्यक्ति/ व्यक्तियों			
लॉकर के प्रकार	लॉकर नं	अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो	नाम, पता और संपर्क नं	किराएदार के साथ संबंध, यदि कोई हो	उम्र	नामांकित व्यक्ति की जन्म तिथि (यदि वह नाबालिग है)

स्थान:

दिनांक:

किराएदार/ किरायेदारों के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

गवाह/ गवाहों का नाम, हस्ताक्षर और पता/ पते@

*जब सिर्फ नाबालिग के नाम पर लॉकर किराए पर लिया गया हो, तो नामांकन को रद्द करना ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर से होना चाहिए जो नाबालिग की ओर से कार्यवाही करने के लिए कानूनी रूप से पात्र हो

@अंगूठे का निशान को दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा

----- यहाँ से फाड़ें -----

अभिस्वीकृति - एस.एल.२

हम आपके द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करने की रसीद स्वीकार करते हैं

(नाम, पता और नामांकित व्यक्ति की उम्र) आपके द्वारा किराए पर लिया गया लॉकर नं.

_____ ।

भवदीय,

दिनांक:

मुहर के साथ बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर